तारीख हुक्म	दावा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उमा देवी बनाम रीजा देवी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिक का समय हो चुका है। प्रतिवादी व उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं आये। प्रतिवादीगण की तामील स्वीकार की जाती है। वादयुक्त नोटिस प्रतिवादीगण अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 व 24 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादीगण के जवाब के अभाव में तनखीयात कायम किया जाना संभव नहीं है। फलावली वास्ते साक्ष्य वादी पेश करने हेतु दिनांक 13/4/2026 को पेश हो।	
13/4/2026	फलावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। फलावली वास्ते साक्ष्य वादी पेश करने हेतु दिनांक 13/3/2026 को पेश हो।	
13/3/2026	फलावली पेश हुई। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता अनुपस्थित है। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को न्यायालय में बार-बार कॉल कराकर आवाज डिलवाई गई, परन्तु न्यायालय समयतक कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः वादीगण का वाद पत्र आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के अन्तर्गत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फाईल सुवा होकर नम्बर सत्म हो तथा दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी कैथल	